निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 764) पटना, वृहस्पतिवार, 2 सितम्बर 2021

सं० 27@vkjksi&01&49@2020&7772@lk0i0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2021

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 473/11, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक–88 दिनांक–27.05.2015 द्वारा (कनीय अभियंता की नियुक्ति में बरती गयी अनियमितता, ओ0एम0आर सीट में हेरा फेरी, असफल उम्मीदवार को सफल घोषित करना संबंधी गंभीर आरोपों से संबंधित आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है। प्राप्त आरोप प्रपत्र ''क'' के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–9791 दिनांक–07.07.2015 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप श्री कुमार पर लगाये गये आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13018, दिनांक–01.09.2015 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–163 दिनांक–30.03.2016 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 5 के निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि ''उपरोक्त जॉच और विश्लेषण के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध सूचीबद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं''।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असहमति व्यक्त की गयी है। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक–5823 दिनांक–07.05.2018 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा असहमति के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों से इंकार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार के प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकिया (पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के पदस्थापन काल में सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग, रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन करने संबंधी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–15316 दिनांक–26.11.2018 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से **तीन वेतनवृद्धियां पर रोक** का दंड संसूचित किया गया है तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंकेक्षक एवं कनीय अभियंता की परीक्षाओं में श्री कुमार द्वारा बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3248 दिनांक–08.03.2019 द्वारा **अनिवार्य सेवानिवृत्ति** का दंड

संसूचित किया गया है। उक्त मामले में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–67 दिनांक–22.04.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3248 दिनांक–08.03.2019 द्वारा **अनिवार्य सेवानिवृत्ति** का दंड संसूचित किये जाने के पश्चात् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6147दिनांक–08.05.19 द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43'बी' में सम्परिवर्तित किया गया।

श्री राजेश कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत श्री राजेश कुमार से ''पेंशन से पॉच प्रतिशत राशि की कटौती पॉच वर्षों तक करने'' का दण्ड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–514, दिनांक–12.01.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मॉग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–609 दिनांक–28.06.2021 द्वारा आयोग का अभिमत है कि विभागीय दण्ड प्रस्ताव समानुपातिक नहीं है।

बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आयोग द्वारा गठित मंतव्य सकारण नहीं है। इस मंतव्य के लिए आयोग द्वारा कोई तर्क अंकित नहीं किया गया है। आयोग से प्राप्त मंतव्य/परामर्श सहमति योग्य नहीं है।

अनुशासनिक प्राधिकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 473/11, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध **बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत ''पेंशन से पॉच प्रतिशत राशि की कटौती पॉच वर्षों तक करने'' का दण्ड** अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 764-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in